

राज्यपाल के अपर सचिव
Additional Secretary to Governor



दूरभाष Telephone

कार्यालय OFF.: 2858823-24

निवास RES. : 2858826

फैक्स FAX : 2858825, 2858816

राजभवन, भोपाल-462 052

Raj Bhavan, Bhopal—462 052

कमांक : 466 /रा.स./यू.ए.-3/2020

दिनांक 19 अप्रैल, 2020

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म. प्र. शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय,
भोपाल ।


विषय :- कोरोना वायरस से प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों में परीक्षा आयोजन के विषय में दिनांक 15 अप्रैल, 2020 को सम्पन्न बैठक कार्यवाही विवरण ।

— 00 —

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15 अप्रैल, 2020 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित हैं ।

निर्देशानुसार, अनुरोध हैं कि बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


(अभय वर्मा)
राज्यपाल के अपर सचिव
मध्य प्रदेश

पृ. क. : /रा.स./यू.ए.-3/2020
प्रतिलिपि :-

दिनांक 19 अप्रैल, 2020

आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उपरोक्त बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं ।

पृष्ठांकन क्रमांक क्यू/सम्बद्धता/2020


भोपाल, दिनांक : 22/04/2020

प्रति,

कुलसचिव, समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश

निर्देशानुसार बैठक का कार्यवाही विवरण सूचनार्थ प्रेषित ।

राज्यपाल के अपर सचिव
मध्य प्रदेश


(डॉ. धीरेंद्र शुक्ल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा संचालनालय, म.प्र.

Scanned with CamScanner

विश्वविद्यालयीन परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया एवं ग्रीष्मावकाश के संबंध में दिनांक
15.04.2020 को संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण

कुलाधिपतिजी की अध्यक्षता में दिनांक 15.04.2020 को राजभवन में विश्वविद्यालयीन परीक्षा, प्रक्रिया एवं ग्रीष्मावकाश के संबंध में बैठक संपन्न हुई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :-

- 1 श्री मनोहर दुवे, राज्यपाल के सचिव
- 2 श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
- 3 श्री अजीत कुमार, सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
- 4 श्री मुकेश शुक्ला, आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के चलते प्रदेश सहित पूरे देश में प्रचलित लाकडाउन की अवधि यदि दिनांक 03.05.2020 को समाप्त होती है तो विश्वविद्यालयीन परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराने एवं ग्रीष्म अवकाश दिए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी कक्षा में बिना परीक्षा के सामान्य पदोन्नति नहीं दी जावेगी।

(अ) विश्वविद्यालयीन परीक्षा

- 1 स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं का संचालन लाकडाउन समाप्त होते ही तत्समय प्रचलित निर्देशों के अनुक्रम में तत्काल बिना किसी अंतराल के किया जावेगा।
- 2 स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का मूल्यांकन परीक्षा संचालन के साथ आरंभ किया जाकर परीक्षा परिणाम यथाशीघ्र घोषित किए जावेंगे।
- 3 स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के संचालन के लिये एक समिति गठित कर प्रस्ताव प्राप्त किया जावेगा। किसी भी कक्षा में बिना परीक्षा के सामान्य पदोन्नति नहीं दी जावेगी।
- 4 जिन विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा शेष है तो प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर मूल्यांकन किया जावेगा।
- 5 यू.जी.सी. के दिशा निर्देश एवं पड़ोसी राज्यों की कार्य योजना के आधार पर भी विचार किया जावेगा।

(ब) पारंपरिक पाठ्यक्रमों के लिए आनलाईन ई-प्रवेश परीक्षा
(12वीं के परीक्षा परिणाम दि.10.06.2020 तक घोषित किए जाने की स्थिति में)

- 1 लाकडाउन समाप्ति पश्चात समय सारिणी जारी कर शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों का आनलाईन ई-प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर 11.06.2020 से स्नातक प्रथम वर्ष एवं 22.06.2020 से स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ की जावेगी ।
- 2 आनलाईन आवेदकों के दस्तावेजों का शासकीय महाविद्यालय में जाकर सत्यापन कराए जाने की प्रक्रिया का विलोपन किया जावेगा ।
- 3 मेरिट सूची का प्रकाशन तथा आनलाईन भुगतान के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जावेगी ।
- 4 सत्र 2020-21 के लिये जब भी महाविद्यालय विधिवत आरंभ होंगे तब शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर दस्तावेजों का सत्यापन कर टीसी आदि जमा करने की कार्यवाही पूर्ण कराई जावेगी ।
- 5 वर्ष 2020-21 के लिये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नवीन अशासकीय महाविद्यालय, नवीन संकाय तथा नवीन विषय आरंभ करने के आदेश को आगामी सत्र से लागू किया जावेगा । वर्तमान समय में सामाजिक दूरी तथा प्रवेश की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयीन निरीक्षण आदि की प्रक्रिया से बचा जावेगा ।

(स) बी.एड. आदि पाठ्यक्रमों के लिये आनलाईन प्रवेश परीक्षा :-

(लाकडाउन समाप्ति के पश्चात एन.सी.टी.ई. से मान्यता एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा ए.एफ.आर.सी. से शुल्क निर्धारित शासकीय महाविद्यालयों की अद्यतन सूची तैयार कर आनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी)

- 1 बी.एड. आदि पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया लाकडाउन समाप्त होते ही तत्समय प्रचलित निर्देशों के अनुक्रम में संचालित की जावेगी ।
- 2 आनलाईन आवेदकों के दस्तावेजों का शासकीय महाविद्यालय में जाकर सत्यापन कराए जाने की प्रक्रिया का विलोपन किया जावेगा ।
- 3 बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. के पाठ्यक्रमों के लिये प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जावेगा ।

- 4 आनलाईन आवेदन के आधार पर गेरिट सूची का प्रकाशन तथा आनलाईन भुगतान के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जावेगी ।
- 5 सत्र 2020-21 के लिये जब भी महाविद्यालय विधिवत आरंभ होंगे तक शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर दस्तावेजों का सत्यापन कर टीसी आदि जमा करने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी ।

(द) ग्रीष्मावकाश के संबंध में :-

कोरोना (कोविड-19) के संदर्भ में 03.05.2020 को लाकडाउन की अवधि समाप्त होने के पश्चात समस्त प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक महाविद्यालय में ग्रीष्मावकाश की अवधि में भी अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर विश्वविद्यालयीन परीक्षा, मूल्यांकन कार्य एवं प्रवेश प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे ।

--

अनुसु